

**प्रथम सूचना रिपोर्ट**  
**दं०प्र०सं० की धारा 154 के अन्तर्गत**

1. जिला पंचकूला थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला वर्ष 2013 प्र०सु०रि०स० 05  
दिनांक 14.09.2013
2. धारा 7, पी०सी० एक्ट 1988
3. (क) अपराध की घटना : 14.09.2013  
(ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : दिनांक 14.09.2013 समय 12:30 पी०एम०.  
(ग) रोजनामचा रिपोर्ट क्रम संख्या : 6
4. सूचना का प्रकार : लिखित
5. घटनास्थल: (क) थाने से दिशा एवं दूरी करीब 75 कि०मी० दक्षिण जिला अम्बाला
6. शिकायतकर्ता/सूचनादाता  
नाम विक्रम सिंह  
पिता का नाम श्री करनैल सिंह  
राष्ट्रीयता भारतीय  
व्यवसाय खेतीबाड़ी  
पता गांव मनका,जिला अम्बाला
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण  
प्रमजीत सिंह, मीटर रीड, बिजली विभाग मुस्तफाबाद  
  
लिंग पुरुष  
भाषा हिन्दी
8. सूचनादाता द्वारा देरी से सूचना दिये जाने का कारण कोई नहीं

प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण :- सेवा मे इन्सपैक्टर विजिलेंस यमुनानगर श्री मान जी, निवेदन है, कि मै विक्रम सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह गांव मनका जिला अम्बाला का रहने वाला हूं और हमारे घर पर मेरे पिता

जी के नाम बिजली मीटर नम्बर वी.44,वी.न0.एस.एस. 91 एस.पी छप्पर कई वर्षों से लगा हुआ है । जिसका बिल मेरे पिता जी समय समय पर भरते रहे है । जो हमारे एरिया मे परमजीत सिंह मीटर रीडर बिजली विभाग मुस्तफाबाद मे लगा है, जो हमारे घर पर लगे मीटर की रीडिंग ले जाता है । जिस ने हमारे घर पर लगे हुए मीटर की रीडिंग पिछले 3-4 महीनो से मीटर रीडिंग के चलते हुए मीटर को बन्द दिखाया है। जिसका मीटरबन्द दिखाने पर जुलाई अगस्त का बिल 6500रू0 आया था । जिस बारे मे परमजीत मीटर रीडर से मिला जिसने कहा कि मै आप का बिल रीडिंग के हिसाब ठीक करवा दूंगा लेकिन बतौर रिश्वत के रूप मे 3000रू0 लगेगे। जब कि हमारा मीटर रीडिंग दे रहा है जो आज भी हमारे मीटर की रीडिंग 9090 है जो मै परमजीत मीटर रीडर को यह 3000रू0 बतौर रिश्वत राशि नही देना चाहता और यदि नही दूंगा तो वह हमारे बिजली बिल की रीडिंग ठीक नही होने देगा । जिसने हमारे से बिजली बिल, ठीक करने के लिया हुआ है। जो मै परमजीत सिंह मीटर रीडर को यह 3000रू0 बतौर रिश्वत देकर रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूंके खिलाफ कार्यवाही की जाये । **हस्ता:-** विक्रम सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह गांव मनका जिला अम्बाला मो0 न0 09466230417 **कार्यवाही पुलिस:-** आज मन निरीक्षक मय साथी मुलाजमान के साथ अपने कार्यालय मे हाजिर था कि मुदई विक्रम सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह निवासी गांव मनका जिला अम्बाला मे हाजिर आकर कार्यालय मे एक दरखास्त पेश की जो मजबून दरखास्त सरेदस्त सूरत जूर्म 7,8 पी.सी.एक्ट का होना पाया जाकर अभियोग दर्ज करवाने के लिए सि0 रविन्द्र कुमार 1937 गुडगांव को थाना भेजा जा रहा है। मन नि0 रेडिंग पार्टी जिसमे एस.आई.पूर्ण सिी 2/17, ए.एस.आई. कुलदीप सिंह 797 पंचकूला, ए. एस.आई रामेश्वर दास 58 कुरुक्षेत्र, ए.एस.आई. रघुवीर सिंह 882 पंचकूला, ई.एस.सी. परमीत सिंह 774 अम्बाला, सि0 जसबीर सिंह 518 कुरुक्षेत्र, मय मुदई को हमरा लेकर बराये करवाने डियूटी मैजीस्ट्रेट नियुक्ति डी.सी. कैम्प आफिस यमुनानगर एट जगाधरी का होता हूं नम्बर अभियोग दर्ज रजिस्टर करके नम्बर पर्चा से सूचित करें और स्पेशल रिपोर्ट अफसरान बाला की सेवा मे भेजी जावे। अफसरान बाला को बजरिया टैलीफोन सूचित किया गया **हस्ता:-** मदन लाल नि0 रा0चौ0ब्यूरो उपकेन्द्र यमुनानगर दि0 14.09. 13 एट 9:00 ए.एम अज कार्यालय । **अज थाना :-** उक्त तहरीर पर अभियोग अकिंत करके प्रथम सूचना रिपोर्ट नकूलात उच्च अधिकारियों की सेवा मे भेजी जा रही है व स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजीस्ट्रेट जगाधरी (यमुनानगर) असल तहरीर मिसल पुलिस तफतीश हेतू बर मौका व स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजीस्ट्रेट की सेवा मे बादस्त सि0 रविन्द्र कुमार 1937 गुडगांव भेजी जा रही है । तफतीशी अधिकारी नि0 मदन लाल उपकेन्द्र रा0चौ0ब्यूरो यमुनानगर ।

बादस्त सि0 रविन्द्र कुमार 1937 गुडगांव

हस्ता /-  
ए.एस.आई रामनिवास



